

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 3844/ 12-1 दिनांक, पौड़ी, जून, 30, 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
 नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
 उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय-

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पंयाताल-त्यूंखर-चिरबटिया-लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.40 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ-

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग का पत्रांक 2628/12-1 दिनांक 29.06.2017
 FP/UK/ROAD/10497/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के क्रम में उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार किया गया है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव पंयाताल त्यूंखर चिरबटिया लस्या मोटर मार्ग के नाम से प्रेषित किया गया है। परन्तु प्रस्ताव पर जी.ओ. रिफरेन्स मैप मयाली थापली मोटर मार्ग का संलग्न है। स्थित स्पष्ट करें।	जियो रिफरेन्स मैप पंयाताल त्यूंखर चिरबटिया लस्या मोटर मार्ग का संलग्न किया गया है। Uploaded at section C (iv) of Form A Part I
2	डिजिटल मैप में Starting and End point प्रारम्भ व अन्तिम स्थल का नाम अंकित किया जाय।	डिजिटल मैप में मोटर मार्ग कोट लौगा मोटर मार्ग के किमी० 3 (सातवें एच पी बैंड) से आरम्भ होकर अन्तिम धनौली तक जायेगा, जो कि मैप में इंगित है। Uploaded at section C (iii) of Form A Part I
3	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मीटर पर Latitude & Longitude सहित अंकित किया जाय।	प्रत्येक 200 मीटर में Latitude & Longitude अंकित किये गये हैं। Uploaded at section C (iv) of Form A Part I
4	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण Latitude & Longitude सहित अंकित किया जाय।	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण दर्शा दिया गया है तथा Latitude & Longitude गूगल मैप में अंकित किये गये हैं। Uploaded at section D (ii) (a) of Form A Part I
5	मार्ग जहां से प्रारम्भ हो रहा है उससे पूर्व निर्मित मार्ग का नाम दर्शाया जाय एवं भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न करें।	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का नाम कोट लौगा मोटर मार्ग है, जिसकी स्वीकृति का पत्र संलग्न कर दिया गया है। Uploaded as Other Document (in Remark Column Annexure 1)
6	प्रस्तावित मार्ग आरक्षित वनभूमि से शुरू होकर आरक्षित वन भूमि पर ही समाप्त हो रहा है। ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। अतः सही समरेखण का चयन किया जाय।	प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 2.00 किमी० है जिस कारण मोटर मार्ग आरक्षित वनभूमि से शुरू होकर आरक्षित वन भूमि पर ही समाप्त हो रहा है। यह समरेखण ही एकमात्र न्यून व उचित है, जिससे धनौली गांव लाभान्वित होगा।
7	वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र मात्र 01 गांव का ही संलग्न है, जबकि प्रस्ताव के अनुसार 05 ग्राम लाभान्वित होने का उल्लेख है। सभी ग्राम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। ग्राम सभा उपस्थिति पत्र में दिनांक 10.01.2015 का उल्लेख है जबकि प्रमाण पत्र में दिनांक 26.11.2014 का उल्लेख है। अतः उक्त विरोधाभास को सही कर प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें।	वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र मात्र 01 गांव का ही संलग्न है, क्योंकि वर्तमान में एक ही गांव लाभान्वित हो रहा है। जो कि प्रस्ताव में ठीक कर दिया गया है। ग्राम सभा उपस्थिति पत्र में दिनांक 10.01.2015 के स्थान पर दिनांक 26.11.2014 मानवीय त्रुटि के कारण अंकित कर दी गयी थी, जिसका निराकरण कर दिया गया है। Uploaded at section K (i) (a) of Form A Part I
8	प्रस्ताव में उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र छाया प्रति में संलग्न किया गया है। मूल प्रति में संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र में परियोजना का क्षेत्रफल कहीं पर 1.4 है एवं कहीं पर 0.91 है० का उल्लेख है। अतः उक्त का विरोधाभास को सही किया जाय।	प्रस्ताव में उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न कर दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र में परियोजना का क्षेत्रफल 1.40 है० है। मानवीय त्रुटि के कारण कहीं पर क्षेत्रफल 0.91 है० दर्शाया गया था, जिसे सही कर दिया गया है। Uploaded at section K (i) (a) of Form A Part I
9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण गूगल मानचित्र के स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार जी०ओ० रिफरेन्स मैप में बनाकर पोलिगन के रूप में चारों कोनों के Latitude & Longitude सहित .shap में DSS से मिलान कर संलग्न किया जाय। मानचित्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी अपेक्षित हैं।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण गूगल मानचित्र के स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार जी०ओ० रिफरेन्स मैप में बनाकर पोलिगन के रूप में समस्त कोनों के Latitude & Longitude सहित .shap में DSS से मिलान कर संलग्न किया गया है व प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर भी करा दिये गये हैं। Uploaded at section L (v) of Form A Part I
10	प्रस्ताव के अनुसार धनौली तक मार्ग बनाया जाना है। प्रस्ताव में वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किया जाय अन्यथा संशोधित वित्तीय संलग्न करें।	प्रस्ताव की स्वीकृत लम्बाई 2.00 किमी० के अनुसार मोटर मार्ग धनौली तक ही बनाया जाना सम्भव है। प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के अनुसार ही प्रेषित किया जा रहा है।
11	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र-1 में परियोजना के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र-1 में परियोजना के नाम का उल्लेख कर दिया गया है। Uploaded as Other Document (in Remark Column Annexure 2)

Surjeet

12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र-2 में मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखण उपलब्ध होने का उल्लेख है, जबकि मानचित्र में एक ही समरेखण दर्शाया गया है। अन्य वैकल्पिक समरेखण को दर्शाते हुए उसके निरस्त करने के कारणों का भी उल्लेख किया जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र-2 में मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखण उपलब्ध होने का उल्लेख है, मानचित्र में वैकल्पिक संरेखण दर्शाया गया है जो संलग्न है। वैकल्पिक संरेखण को इसलिए निरस्त किया गया है क्योंकि इससे अधिक वनभूमि प्रभावित हो रही थी। Alternative route Uploaded at section D (ii) (a) of Form A Part I Reason of rejection Uploaded as Other Document (in Remark Column Annexure 3)
13	वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र 3 को प्रस्ताव में संलग्न करें।	वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र 3 प्रस्ताव में संलग्न है, जो कि वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।
14	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में राजस्व विभाग एवं अन्य ग्राम सभा के प्रतिनिधि की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है, स्थिति स्पष्ट की जाय।	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उपनिरीक्षक ने प्रतिभाग किया, जिनके हस्ताक्षर प्रस्ताव में कराये गये हैं। अन्य ग्राम सभा के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग नहीं किया गया, समरेखण के दौरान ग्राम सभा के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया था, जिनकी अनापत्ति संलग्न की गयी है। Uploaded as Other Document (in Remark Column Annexure 4)
15	प्रस्तावित समरेखण से वृक्ष अधिक प्रभावित हो रहे हैं, अन्य समरेखण का चयन किया जाय एवं वृक्षों का वैज्ञानिक नाम भी अंकित करें।	प्रस्तावित समरेखण सबसे उचित व न्यूनतम दूरी को प्रभावित करता है। अन्य समरेखण का चयन करने से अधिक वन भूमि व अधिक वृक्ष प्रभावित होंगे। वृक्षों के वैज्ञानिक नाम अंकित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिये गये हैं। Uploaded at Part-II Sl. No.-13(vii) Additional information Details : S.No. - 1
16	एस.आई.आर में तिथि अंकित की जाय।	एस.आई.आर में तिथि अंकित कर दी गयी है। Uploaded as Other Document (in Remark Column Annexure 5)
17	मानचित्र पर मलवा निस्तारण आरक्षित वन भूमि में है किन्तु मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र नाप भूमि पर दो व्यक्तियों का संलग्न किया गया है।	मानचित्र पर मलवा निस्तारण नाप भूमि में दर्शा दिया गया है, भू-स्वामियों की अनापत्ति संलग्न कर दी गयी है। Uploaded as Other Document (in Remark Column Annexure 6)
18	प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न है। Uploaded as Other Document (in Remark Column Annexure 7)
19	ले आउट प्लान मदवार विवरण में मार्ग निर्माण किमी0 3 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होने का उल्लेख है जबकि संयुक्त निरीक्षण में मार्ग निर्माण किमी0 2 से आरम्भ होना अंकित है। वित्तीय स्वीकृति रू0 73.50 लाख की है जबकि प्रमाण पत्र में रू0 25.20 लाख का उल्लेख है, विरोधाभास सही किया जाय।	ले आउट प्लान मदवार विवरण में मार्ग निर्माण किमी0 3 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होने का उल्लेख है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में भी मार्ग निर्माण किमी0 3 के अन्तिम बिन्दु से ही आरम्भ होना अंकित कर दिया गया है। वित्तीय स्वीकृति रू0 73.50 लाख की ही प्राप्त है। मानवीय त्रुटि के कारण प्रमाण पत्र में रू0 25.20 लाख का उल्लेख कर दिया गया था जो कि ठीक कर दिया गया है। Uploaded as Other Document (in Remark Column Annexure 8)
20	एनपीवी आंकलन सही प्रतीत नहीं होता है।	एनपीवी का आंकलन कर सही ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। Uploaded at Part-II Sl. No.-13(vii) Additional information Details : S.No. - 2
21	प्रस्ताव में छाया प्रति के स्थान पर मूल प्रति संलग्न की जाय।	प्रस्ताव में छाया प्रति के स्थान पर मूल प्रति संलग्न कर दी गयी हैं।
22	मक डिस्पोजल मानचित्र जियो रिफरेन्स मैप में बनाकर संलग्न करें।	मक डिस्पोजल मानचित्र जियो रिफरेन्स मैप में बनाकर संलग्न कर दिये गये हैं। Uploaded at section C (iv) of Form A Part I
23	फलूड एवं ओवर साइटिंग प्रमाण पत्रों को भारत सरकार द्वारा मान्य नहीं है।	फलूड के प्रयोग वाले प्रपत्रों को दुबारा बनाकर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 3 पेज।

भवदीय

(जी0क0रस्तोगी)

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

